भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर हुई गोष्ठी

सच मीडिया

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर गोष्ठी आयोजित की। भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर बोलते हुए संविधान विशेषज्ञ कुलपति प्रो. आलोक मिश्रा ने विधि विद्यार्थियों को भारतीय न्यायव्यवस्था की प्रक्रिया, समय-समय पर उनमें आए बदलावों से अवगत कराया। विभिन्न प्रकार के केस लॉज का उल्लेख करते हुए उदाहरणों के साथ समझाया कि किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब कौन से नियम बदले और अन्त में कोलेजियम व्यवस्था से ही आज नियुक्तियां होती हैं। न्याय प्रक्रिया के संबंध में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधि विद्यार्थियों ने उनके द्वारा दी गई जानकारी उत्सुकता से सुना व समझा, साथ ही विद्यार्थियों ने कई नई जानकारियां हासिल की। इस अवसर पर ओएसडी एच विधानी भी उपस्थित रहे।

छोटी-बड़ी खबरे...

भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर हुई गोष्ठी

राजस्थान दर्शन

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर गोष्ठी आयोजित की। भारतीय संविधान और कोलेजियम व्यवस्था पर बोलते हुए संविधान विशेषज्ञ कुलपति प्रो. आलोक मिश्रा ने विधि विद्यार्थियों को भारतीय न्यायव्यवस्था की प्रक्रिया, समय-समय पर उनमें आए बदलावों से अवगत कराया। विभिन्न प्रकार के केस लॉज का उल्लेख करते हुए उदाहरणों के साथ समझाया कि किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब कौन से नियम बदले और अन्त में कोलेजियम व्यवस्था से ही आज नियुक्तियां होती हैं। न्याय प्रक्रिया के संबंध में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधि विद्यार्थियों ने उनके द्वारा दी गई जानकारी उत्सुकता से सुना व समझा, साथ ही विद्यार्थियों ने कई नई जानकारियां हासिल की। इस अवसर पर ओएसडी एच विधानी भी उपस्थित रहे।